

## प्रारंभिक परीक्षा

### सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पवित्र उपवनों (Sacred Groves) पर नीति बनाने को कहा

#### संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पवित्र उपवनों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया जाए।

#### पवित्र उपवन के बारे में -

- पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति के वे भाग हैं जिन्हें उनके धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है।
- ये क्षेत्र अक्सर देवताओं, आत्माओं या धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं, और मानवीय हस्तक्षेप आमतौर पर निषिद्ध या प्रतिबंधित होता है।
- भारत में 13,000 से अधिक पवित्र उपवन हैं।
- वे **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत संरक्षित हैं।
- **भारत के कुछ प्रसिद्ध पवित्र उपवन:**
  - **हरियाली:** यह भारत के सबसे बड़े पवित्र उपवनों में से एक है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में गौचर के पास स्थित है।
  - **देवदार उपवन:** हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिपिन में स्थित है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:**
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित करेगा।
  - सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य में पवित्र उपवनों के क्षेत्र, स्थान और विस्तार की पहचान की जानी चाहिए।
  - पवित्र उपवनों की सीमाएं प्राकृतिक वृद्धि के अनुरूप लचीली रहनी चाहिए, लेकिन कृषि गतिविधियों, मानव निवास या वनों की कटाई के कारण होने वाली किसी भी कमी से इन्हें सख्ती से संरक्षित किया जाना चाहिए।

#### पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम

राज्य	स्थानीय नाम	राज्य	स्थानीय नाम
हरियाणा	कोविल कडु	मेघालय	कॉ किन्तांग
हिमाचल प्रदेश	देव वन	मणिपुर	उमंग लाई
राजस्थान	ओरान	असम	बजाय
महाराष्ट्र	देवराय	केरल	कावु
मध्य प्रदेश	सरना, देव	कर्नाटक	देवाराकाडु

#### स्रोत:

- [द हिंदू - सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पवित्र उपवनों के प्रबंधन के लिए नीति बनाने को कहा।](#)
- [इंडियन एक्सप्रेस](#)

## स्थायी कार्बनिक प्रदूषक(Persistent Organic Pollutants-POP)

### संदर्भ

एक दशक लंबे अध्ययन से सुदूर महासागरों में भी ओर्कास (किलर व्हेल) पर लगातार जैविक प्रदूषकों के गंभीर प्रभाव का पता चलता है।

### स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) के बारे में -

- POP कार्बनिक यौगिक हैं जो रासायनिक, जैविक और प्रकाश अपघटन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।
- POP अपनी क्षमता के कारण वैश्विक चिंता का विषय हैं:
  - लंबी दूरी का परिवहन,
  - पर्यावरण में स्थायी,
  - पारिस्थितिकी तंत्र में जैव-आवर्धन और जैव-संचय की क्षमता,
  - मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- POP आसानी से विघटित नहीं होते, वे दशकों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जल और पवन के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हैं और बाद में खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं।
- POP के सामान्य उदाहरण: डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोइथेन (DDT), एंडोसल्फान, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स (PCB) आदि।

### स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
- इसे 2001 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ।
- भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की।
- भारत ने कन्वेंशन में POP के रूप में सूचीबद्ध अधिकांश कीटनाशकों के निर्माण, उपयोग और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

### स्रोत:

- [डाउन टू अर्थ - अपरिहार्य खतरा](#)

## मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित

### संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) को फिर से लागू कर दिया है।

### संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) के बारे में -

- गैर-भारतीय नागरिकों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट कुछ संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है।
- तीन पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और विशेष परमिट लेना होगा।
- इसे विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत जारी किया जाता है।
- 14 साल के अंतराल के बाद यह छूट हटा दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2010 में पहली बार एक साल के लिए इसमें छूट दी गई थी।
- संरक्षित क्षेत्र इनर लाइन क्षेत्रों की तुलना में व्यापक हैं।

### इनर लाइन परमिट (ILP)

- भारतीय नागरिकों द्वारा कुछ राज्यों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक एक दस्तावेज़, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 के तहत पेश किया गया।
- कवर किए गए क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर।
- उद्देश्य:
  - स्वदेशी समुदायों और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा करना।
  - जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को विनियमित करना।

### स्रोत:

- [द हिंदू - मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित](#)

## भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया

### संदर्भ

हाल ही में वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं की एक टीम ने, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया।

### गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में -

- **इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।**
- यह विश्व की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 प्रजातियाँ हैं- बैजी (यांग्ज़ी नदी), भूलन (सिंधु, पाकिस्तान) और बोटो (अमेज़ॅन नदी)।
- **विशेषताएं:**
  - नुकीले दांतों वाला लंबा, नुकीला थूथन।
  - खराब दृष्टि; नेविगेट करने और शिकार करने के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर है।
  - यह जीव केवल मीठे जल में ही जीवित रह सकते हैं
  - मादाएं, नर की तुलना में बड़ी होती हैं और प्रत्येक दो से तीन वर्ष में एक शिशु को जन्म देती हैं।
  - **डॉल्फिन पानी में साँस नहीं ले सकती हैं। यह प्रत्येक 30-120 सेकंड में ताजी हवा में साँस लेने के लिए सतह पर आती है, क्योंकि यह एक स्तनपायी प्राणी है।**
- **वितरण:** यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगु नदी प्रणालियों में पाए जाते हैं।
- **डॉल्फिन अभयारण्य:** बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) स्थिति:** लुप्तप्राय
  - **उद्धरण:** परिशिष्ट I
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA):** अनुसूची I
- **खतरे:**
  - **पर्यावास का हास:** उद्योगों, कृषि आदि से प्रदूषण एवं बांधों व बैराजों के निर्माण से भी पर्यावास विखंडित हो जाते हैं, जिससे संख्या संपर्क कम हो जाता है।
  - **जल निकासी:** कृषि और उद्योग के लिए जल की अत्यधिक निकासी, नदी के प्रवाह को प्रभावित करती है।
  - **नदी तल परिवर्तन:** रेत खनन और ड्रेजिंग से आवास बाधित होते हैं।

### स्रोत:

- [पीआईबी-भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया](#)

## मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने अगले NHRC प्रमुख के चयन के लिए बैठक की

### संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के जून 2024 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है।

### राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में -

- यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है और संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार की रक्षा के लिए काम करता है।
- संरचना: अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य।
  - अध्यक्ष: भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
  - सदस्य:
    - सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
    - सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
    - 3 अन्य सदस्य (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) जिनके पास मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

### क्या आप जानते हैं

- इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त, आयोग में 7 पदेन सदस्य भी हैं:
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
  - एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी के अध्यक्ष
  - राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष
  - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

- कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों दोनों के लिए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
- नियुक्ति: NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  - गृह मंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष का नेता
  - राज्य सभा में विपक्ष का नेता
  - लोकसभा अध्यक्ष
  - राज्यसभा के उपसभापति

### यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: भारत में निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए: (2023)

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय विधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग


उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) सिर्फ दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर:(a)

स्रोत:

- [द हिंदू - मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने अगले NHRC प्रमुख के चयन के लिए बैठक की](#)



## समाचार संक्षेप में

### दक्षिणी हिंद महासागर में सक्रिय पानी के नीचे गर्म पानी का झरना

- भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने हिंद महासागर की सतह से 4,500 मीटर नीचे स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की तस्वीर खींची है।
- हाइड्रोथर्मल वेंट:
  - ये टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के पास पाए जाने वाले पानी के नीचे के झरने हैं।
  - ये तब बनते हैं जब समुद्र तल पर ठंडा पानी (लगभग 2°C) टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में मैग्मा के साथ संपर्क करता है, जिससे यह 370°C तक गर्म हो जाता है।
  - अति गर्म पानी फिर चिमनियों और दरारों से खनिज-समृद्ध गुबार के रूप में बाहर निकल जाता है।
  - हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाला गर्म पानी खनिजों से भरपूर होता है, जिसमें सल्फर, तांबा, जस्ता, सोना, लोहा और हीलियम शामिल हैं।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - दक्षिणी हिंद महासागर में सक्रिय पानी के नीचे गर्म पानी के झरने की पहली तस्वीर](#)

### पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बैगा आदिवासी कलाकार जोधइया बाई का निधन

- जोधइया बाई एक बैगा आदिवासी कलाकार थीं। उन्होंने बैगा आदिवासी कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2023 में पद्म श्री और 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बैगा जनजाति के बारे में -

- बैगा मध्य भारत का एक जातीय समूह है जो अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें उनके टैटू, जंगल के साथ उनका संबंध और उनके त्यौहार शामिल हैं।
- वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
- वे काटने और जलाने की खेती करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में "बेवर" कहा जाता है।
- बैगा भारत का पहला समुदाय था जिसे 2016 में आवास अधिकार प्रदान किया गया था।

स्रोत:

- [हिंदू-बैगा आदिवासी कलाकार जोधइया बाई का निधन](#)

### गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (WLS)

- मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कुनो के बाद चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए अगला स्थान है।
- **स्थान:** पश्चिमी मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिला, राजस्थान की सीमा से सटा हुआ। इसे 1974 में WLS के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- **नदी:** चम्बल नदी अभयारण्य से होकर बहती है तथा इसे दो भागों में विभाजित करती है।
- **IBA:** गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और जलाशय भी एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) नामित है।
- **वनस्पति:** खैर, सलाई, तेंदू, पलाश आदि।

- **जीव-जंतु:** चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, **तेंदुआ**, धारीदार लकड़बग्घा और सियार आदि।
    - यहां मगरमच्छ और कछुओं की भी अच्छी आबादी है।
  - **ऐतिहासिक स्थान:** चतुर्भुजनाथ मंदिर, भड़काजी शैल चित्र और हिंगलाजगढ़ किला
- स्रोत:
- [इंडियन एक्सप्रेस - एमपी ने चीता के लिए नया घर बनाने की योजना बनाई](#)





## संपादकीय सारांश

### नागरिकता अधिनियम की धारा 6A - असम में यह क्यों विफल है?

#### संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर, 2024 को अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को 4:1 बहुमत से बरकरार रखा।
- इस निर्णय ने संवैधानिक उल्लंघनों तथा असम के सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न की हैं।

#### नागरिकता अधिनियम की धारा 6A

- असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1985 में एक संशोधन के माध्यम से धारा 6A को नागरिकता अधिनियम, 1955 में शामिल किया गया था।
- यह प्रावधान एक निर्दिष्ट तिथि से पहले असम में बसने वाले बांग्लादेश (पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान) के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए एक विशेष रूपरेखा स्थापित करता है।
  - 1 जनवरी, 1966 से पहले: इस तिथि से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को स्वचालित रूप से भारतीय नागरिक माना जाता था।
  - 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच: इस अवधि के दौरान असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को पंजीकरण कराना आवश्यक था और 10 साल की निवास अवधि के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी।
  - 25 मार्च 1971 के बाद: इस तिथि के बाद प्रवेश करने वाले प्रवासियों को अवैध अप्रवासी माना जाता है और उनका पता लगाया जा सकता है और निर्वासन किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य असम में प्रवासियों की आमद और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक तनाव को दूर करना था।

#### सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में खामियां और अंतराल

- अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के संबंध में असंगत तर्क
  - न्यायालय का दृष्टिकोण: न्यायालय ने असम को अलग नागरिकता ढांचे के लिए चुने जाने को तर्कसंगत विचारों के आधार पर उचित ठहराया और तर्क दिया कि असम पर प्रवास का प्रभाव पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गंभीर था।
  - दोष: न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत असम पर असंगत प्रभाव को स्वीकार करके, लेकिन बाद में अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक चिंताओं को खारिज करके अपना ही विरोधाभास किया।
    - यह असंगतता समानता सिद्धांत के मनमाने अनुप्रयोग को इंगित करती है।
- अनुच्छेद 29 (सांस्कृतिक अधिकार) की विरोधाभासी व्याख्या
  - न्यायालय का दृष्टिकोण: न्यायालय ने माना कि धारा 6A अनुच्छेद 29 (सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करती है, तथा तर्क दिया कि प्रवासियों की उपस्थिति असमिया लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने से स्वतः बाधित नहीं करती है।
  - दोष: न्यायालय ने प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय और भाषाई विस्थापन को नजरअंदाज कर दिया।
    - असमिया भाषी आबादी में गिरावट (1951 में 69.3% से 2011 में 48.38% तक) और बंगाली भाषी आबादी में वृद्धि (1951 में 21.2% से 2011 में 28.91% तक) असमिया सांस्कृतिक पहचान के क्षरण को उजागर करती है।

- संस्कृति के "संरक्षण" के अधिकार की न्यायालय की अमूर्त मान्यता सांस्कृतिक संरक्षण की वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही।
- **लौकिक अनुचितता को नज़रअंदाज़ करना**
  - जो कानून लागू होने के समय उचित थे, वे समय के साथ अनुचित हो सकते हैं।
  - 1985 में अधिनियमित धारा 6A, कट-ऑफ तिथि (25 मार्च, 1971) के दशकों बाद भी नागरिकता नियमों को अनिश्चित काल तक लागू रखने की अनुमति देती है।
  - **दोष:**
    - न्यायालय यह स्वीकार करने में विफल रहा कि समय संबंधी सीमा का अभाव कानून को पुराना और अप्रभावी बना देता है।
    - असम समझौते के 40 वर्ष बाद, यह प्रावधान वर्तमान प्रवासन चुनौतियों का समाधान नहीं करता।
- **प्रवासियों की पहचान के लिए दोषपूर्ण तंत्र**
  - **राज्य का भार:** धारा 6A(3) के तहत प्रक्रिया अवैध प्रवासियों की पहचान करने का भार स्वयं व्यक्तियों के बजाय राज्य पर डालती है।
  - **दोष:** स्वैच्छिक आत्म-पहचान के लिए तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप देरी और अकुशलता होती है।
    - विदेशी न्यायाधिकरणों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और मामलों के समाधान में देरी हो रही है।

### निष्कर्ष

धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला असम में सांस्कृतिक संरक्षण और जनसांख्यिकीय अखंडता के बारे में गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। बहुमत की राय का तर्क स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 29 के संबंध में अपर्याप्त रूप से मजबूत प्रतीत होता है। इस प्रकार, चल रही प्रवासन चुनौतियों के बीच असमिया पहचान और सामाजिक ताने-बाने के लिए इस फैसले के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

**स्रोत: [द हिंदू: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A - असम में यह क्यों विफल है](#)**

## कृषि-कार्बन बाज़ार की जड़ें मज़बूत करना

### संदर्भ

भारतीय कृषि को बदलने के लिए कार्बन बाजारों की क्षमता महत्वपूर्ण है, जो किसानों को जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करते हुए संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के अवसर प्रदान करता है। अनुपालन और स्वैच्छिक बाजारों के माध्यम से कार्बन मूल्य निर्धारण, इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

### कार्बन बाज़ार और कार्बन मूल्य निर्धारण का परिचय

- **कार्बन बाज़ार:** कार्बन बाजारों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाकर भारतीय कृषि को बदलने की क्षमता है।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण:** जलवायु परिवर्तन शमन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण, कार्बन मूल्य निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से संचालित होता है:
  - **अनुपालन बाज़ार:** सरकारों या संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा विनियमित।
    - यह कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली के तहत संचालित होता है।
    - उत्सर्जन सीमा का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों को:
      - शमन परियोजनाओं (जैसे, कृषि वानिकी, टिकाऊ कृषि) से कार्बन क्रेडिट खरीदें। **या**
      - अतिरिक्त उत्सर्जन के लिए कार्बन कर का भुगतान करें।
  - **स्वैच्छिक बाज़ार:** अनियमित बाज़ार जहाँ संगठन निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का व्यापार करते हैं:
    - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)
    - वेरा(Verra)
    - गोल्ड स्टैंडर्ड
    - **उदाहरण के लिए,** एक एयरलाइन कंपनी जो कार्बन तटस्थता का दावा करना चाहती है, वह यह गणना कर सकती है कि कितने कार्बन उत्सर्जन से वह छुटकारा पाने में असमर्थ है।
      - इसके बाद वे ब्राजील में पुनर्योजी कृषि परियोजना में निवेश करके बराबर मात्रा में कार्बन ऑफसेट क्रेडिट खरीद सकते हैं।

### कार्बन बाज़ार के सिद्धांत

- **अतिरिक्तता:** उत्सर्जन में कटौती केवल कार्बन क्रेडिट अपनाने के कारण ही होनी चाहिए।
  - पहले से मौजूद टिकाऊ पद्धतियों का उपयोग करने वाले किसान ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।
- **स्थायित्व:** लाभ के दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करता है (उदाहरण के लिए, पारंपरिक जुताई जैसी प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी में संग्रहीत कार्बन को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए)।

### कार्बन बाज़ार में हालिया घटनाक्रम

- **COP-29 (नवंबर 2024):** संयुक्त राष्ट्र के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार को मंजूरी मिली।
- **भारत की पहल:** अनुपालन और स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए योजनाओं की घोषणा की गई।
  - नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने वेरा के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से पांच कृषि कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है।

### भारत में कार्बन फार्मिंग की वर्तमान स्थिति

- वेरा के साथ 50 से अधिक कृषि कार्बन फार्मिंग परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं, जिनका लक्ष्य भारत में 1.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है।
- इन परियोजनाओं का लक्ष्य प्रतिवर्ष लगभग 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करना है, जो औसत गैसोलीन-चालित वाहन द्वारा 11 बिलियन मील की यात्रा से होने वाले जीएचजी उत्सर्जन की भरपाई के बराबर है।

### पहचानी गई चुनौतियाँ

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में हरियाणा और मध्य प्रदेश में सात कार्बन कृषि परियोजनाओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण का खुलासा हुआ:
  - महिलाओं ने केवल 4% प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व किया।
  - कार्बन किसानों ने गैर-कार्बन किसानों की तुलना में अधिक भूमि पर खेती की (हरियाणा में 51% अधिक और मध्य प्रदेश में 32% अधिक)।
  - गैर-कार्बन किसानों के बीच भूमि का स्वामित्व गैर-हाशिए की जातियों की ओर झुका हुआ था (46% स्वामित्व सामान्य जातियों के पास बनाम 17% एससी/एसटी के पास)।

### कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

- **संचार अंतराल:** 45% किसानों ने बताया कि परियोजना विवरण के संबंध में कोई संचार नहीं किया गया।
- **प्रशिक्षण का अभाव:** 60% से अधिक लोगों को नई टिकाऊ तकनीकों में प्रशिक्षण का अभाव था।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** अपर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन के कारण 28% ने दूसरे वर्ष तक टिकाऊ प्रथाओं को बंद कर दिया।
- **कार्बन क्रेडिट भुगतान:** चिंताजनक बात यह है कि 99% को कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान नहीं मिला।
- **परियोजना प्रबंधन:** "कार्बन कोर" परियोजनाओं (केवल कार्बन क्रेडिट पर केंद्रित स्टार्टअप द्वारा प्रबंधित) ने बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित परियोजनाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।
  - हालाँकि, इनमें छोटे किसानों और हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल नहीं किया गया।

### चुनौतियों से निपटने के लिए सिफारिशें

- **समावेशिता को प्रोत्साहित करना:** कार्बन क्रेडिट के लिए उच्च मूल्य की पेशकश करें जिसमें छोटे किसानों और हाशिए पर पड़े समुदायों को शामिल किया जाए।
- **संचार और प्रशिक्षण में सुधार:** किसानों के लिए नियमित संचार और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- **समय पर भुगतान:** विश्वास और भागीदारी बनाए रखने के लिए कार्बन क्रेडिट के लिए समय पर भुगतान की गारंटी।
- **प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोग:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करना:
  - उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना
  - उपज दंड से बचना
  - खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना

### निष्कर्ष

भारत में एक समृद्ध कृषि कार्बन बाज़ार के निर्माण के लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

- नीति निर्माता, शोधकर्ता और निजी संस्थाएं मिलकर काम करें।
- किसानों के लिए समावेशिता, पारदर्शिता और समय पर पुरस्कार सुनिश्चित करना।
- विश्वास और दीर्घकालिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना।

**स्रोत:** [द हिंदू: कृषि-कार्बन बाज़ार की जड़ें मज़बूत करना](#)

## विस्तृत कवरेज

### भारत-श्रीलंका संबंध

#### संदर्भ

हाल ही में श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (AKD) भारत दौरे पर आए।

#### भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के क्षेत्र

##### ● आर्थिक एवं अवसंरचना विकास:

- कांकेसंधुराई बंदरगाह और त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म जैसी परियोजनाएं।
- श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक समुद्री तेल पाइपलाइन और एक विद्युत पारेषण लाइन के लिए भारत द्वारा वित्तपोषण।
- इसका रूपांतरण 20 मिलियन डॉलर मूल्य की सात लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं को अनुदान दिया गया।

##### ● व्यापार और निवेश: श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।

- भारत और श्रीलंका वित्त वर्ष 2023-24 में 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए।
- पर्यटन एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें भारत प्रमुख पर्यटक स्रोत बाजार है।

##### ● ऊर्जा सहयोग: भारत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रीलंका को एलएनजी गैस की आपूर्ति करेगा।

- श्रीलंका परिष्कृत पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है।

##### ● रक्षा एवं सुरक्षा: भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) नीति में श्रीलंका की रणनीतिक भूमिका।

- भारत श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को विदेशी प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है।
- द्विपक्षीय SLINEX (नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (सेना अभ्यास) हर साल वैकल्पिक रूप से भारत और श्रीलंका में आयोजित किए जाते हैं, श्रीलंका भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास MILAN में भाग लेता है।

##### ● सामुदायिक और सामाजिक समर्थन

- तमिल अल्पसंख्यकों सहित श्रीलंका के सभी समुदायों की आकांक्षाओं का समर्थन करता है।
- भारत ने 2022 में आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुआयामी सहायता प्रदान की है।
- बौद्ध धर्म दोनों राष्ट्रों को जोड़ने वाले मजबूत स्तंभों में से एक है।
- सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान में सहयोग।

##### ● बहुपक्षीय: श्रीलंका बिम्स्टेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे क्षेत्रीय समूहों का सदस्य है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है।

### श्रीलंका के साथ संबंध बढ़ाने की आवश्यकता

भारत के अपने निकटवर्ती पड़ोस में चुनौतियों को देखते हुए श्रीलंका के साथ सहयोग बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंध:** बांग्लादेश के साथ संबंध वर्तमान में तनावपूर्ण हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग के लिए रणनीतिक विकल्प सीमित हो गए हैं।
- **मालदीव की आर्थिक कमजोरी:** आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव ने चीन द्वारा सहायता के अनुरोध को ठुकरा दिए जाने के बाद आरबीआई स्वैप के माध्यम से अल्पकालिक तरलता प्रवाह को स्वीकार कर लिया।
- **नेपाल का चीन के साथ गठबंधन:** नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए चीन के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **अफगानिस्तान में अस्थिरता:** तालिबान शासन के तहत, अफगानिस्तान आर्थिक कठिनाई से जूझ रहा है, जिससे यह मादक पदार्थों के व्यापार और अवैध प्रवास का संभावित केंद्र बन गया है।
- **म्यांमार के क्षेत्रीय जोखिम:** म्यांमार की अस्थिरता से क्षेत्र में अवैध प्रवास और सीमा पार संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- **पाकिस्तान के साथ गतिरोध:** पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध काफी हद तक स्थिर बने हुए हैं तथा सामान्यीकरण की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।

### चिंताएं


- **चीन का प्रभाव:** हंबनटोटा बंदरगाह जैसी रणनीतिक परिसंपत्तियों के विकास में चीन की भागीदारी भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करती है।
- **तमिल अल्पसंख्यक मुद्दे:** श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं को संबोधित करने की आवश्यकता, विशेष रूप से सत्ता के हस्तांतरण के लिए 13वें संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में।
- **मछुआरों के बीच विवाद:** तमिलनाडु के मछुआरों के श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश करने (जैसे कि कच्चातीवु द्वीप के पास) को लेकर अक्सर विवाद होता है, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां और तनाव उत्पन्न होता है।
- **आर्थिक कमजोरियाँ:** श्रीलंका की बाहरी ऋण पर भारी निर्भरता और आईएमएफ से निरंतर समर्थन की आवश्यकता, आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं।



## कच्चातीवु द्वीप



### Historical Context



- कच्चातीवु पाक जलडमरूमध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है।
- इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था।
- ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ भूमि का प्रशासन भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था।
- इसका उपयोग सदियों से दोनों देशों के मछुआरों द्वारा पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अभियान के दौरान विश्राम स्थल के रूप में किया जाता रहा है।
- द्वीप में ताजे पानी के स्रोतों का अभाव है, जिससे यह स्थायी निवास के लिए अनुपयुक्त है।

### 1974 का भारत-श्रीलंका समुद्री समझौता

- इसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का निश्चित समाधान करना है।
- भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कच्चातीवू को न्यूनतम सामरिक महत्व का मानते हुए श्रीलंका को सौंप दिया।
- इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को बिना वीजा के कच्चातीवु में आराम करने, जाल सुखाने तथा धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति दी गई, हालांकि मछली पकड़ने के अधिकार से संबंधित कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए।

### ● आगामी घटनाक्रम:

- **1976:** भारत के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे श्रीलंका के ऐतिहासिक जलक्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम नहीं करेंगे, जिससे कच्चातीव के निकट मछली पकड़ने के अधिकारों पर अस्पष्टता पैदा हो।
- **श्रीलंकाई गृह युद्ध का प्रभाव (1983-2009):** इस संघर्ष ने सीमा विवादों को स्थगित कर दिया, भारतीय मछुआरे अक्सर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अतिक्रमण करने लगे, जिससे मछली पकड़ने की प्रथाओं और संसाधनों को लेकर तनाव पैदा हो गया।
- श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमाओं का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुछ मामलों में उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे।

### आगे की राह

- **चीन के साथ सामरिक संतुलन:** चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारतीय निवेश और बुनियादी ढांचे का समर्थन जारी रहेगा।
  - यह सुनिश्चित करना कि श्रीलंका की समुद्री नीतियां भारत के सुरक्षा हितों के अनुरूप हों।
- **तमिल अल्पसंख्यक मुद्दों का समाधान:** श्रीलंका के 13वें संशोधन के कार्यान्वयन का समर्थन करना।
  - तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करना।
- **समन्वित मत्स्य पालन समझौते:** मत्स्य पालन से संबंधित विवादों पर तनाव कम करने के लिए एक समन्वित मत्स्य पालन मॉडल की स्थापना करना।
- **शासन और भ्रष्टाचार विरोधी पहल:** भारत श्रीलंका में शासन सुधार, डिजिटलीकरण और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता कर सकता है।
- **आर्थिक संबंधों को मजबूत करना:** 2025 तक उन्नत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और 2026 तक व्यापक व्यापार सौदे में तेजी लाना।
  - पारस्परिक व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में क्षेत्रीय उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) 2 योजना का संचालन करना।
  - अधिक क्षेत्रों ( खाद्य प्रसंस्करण , वस्त्र और परिधान , ऑटो पार्ट्स , और आईटी-संबंधित सेवाएं ) और क्षेत्रों (सभी चार दक्षिणी भारतीय राज्य ) को शामिल करने के लिए व्यापार सहयोग को व्यापक बनाना।
- **उन्नत कनेक्टिविटी:** व्यापार और पर्यटन के लिए भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार ।
- **आर्थिक स्थिरता पहल:** आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सहायता और व्यापार संबंधी सहायता प्रदान करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस: सहायता से व्यापार तक](#)